

पटना उच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार में

2018 का आपराधिक अपील (डी. बी.) सं. 1145

थाना मामला सं. 31 वर्ष 2010 थाना- अस्थावां जिला- नालंदा से उत्पन्न

=====

रंजय यादव, स्वर्गीय घूतारू यादव के पुत्र, निवासी- गाँव सकरावान, थाना- अस्थावां, जिला- नालंदा

.. ... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रतिवादी/ओं

=====

साथ में

2018 का आपराधिक अपील (डी. बी.) सं. 1119

थाना मामला सं. 31 वर्ष 2010 थाना- अस्थावां जिला- नालंदा से उत्पन्न

=====

सुनील यादव पिता स्व.घफरू यादव,निवासी ग्राम सकरावान, थाना- अस्थावां, जिला- नालंदा

.....अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

..... प्रतिवादी/ओं

=====

**उपस्थिति :**

(2018 के आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या 1145 में)

अपीलार्थी के लिए : श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता  
श्री प्रणव कुमार, अधिवक्ता  
सुश्री सृष्टि सिंह, अधिवक्ता


राज्य के लिए : श्री सुजीत कुमार सिंह, अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी)

(2018 का आपराधिक आवेदन (डीबी) संख्या 1119)

अपीलार्थी के लिए : कुमारी सुजाता सिन्हा, अधिवक्ता

राज्य की लिए : श्री सुजीत कुमार सिंह, अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी)

=====



अधिनियम/धारा/नियम:

भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34

शस्त्र अधिनियम की धारा 27

**अपील-** उस निर्णय के विरुद्ध दायर की गई, जिसके तहत अदालत ने अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी ठहराया।

**निर्णय-**

- अभियोजन पक्ष ने सूचक (informant) को एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि, फर्दबयान में सूचक ने यह नहीं बताया कि उसने घटना को होते हुए देखा, बल्कि उसने कहा कि डर के कारण वह घटनास्थल से भाग गई। - सूचक की गवाही में बाद में बदलाव किया गया और उसके बयान में कई महत्वपूर्ण विरोधाभास पाए गए। (पैरा 15)
- बचाव पक्ष का स्पष्ट तर्क था कि मृतक की भूमि हड़पने की मंशा से अपीलकर्ताओं को झूठा फँसाया गया है। यह बचाव पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया जा सकता। (पैरा 15)
- अभियोजन पक्ष मृतकों में से एक की मृत्यु के कारण को साबित करने में असफल रहा। दोनों मृतकों की जांच रिपोर्ट (इनक्वेस्ट रिपोर्ट) रिकॉर्ड में नहीं है और न ही अभियोजन ने दोनों मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रस्तुत की। (पैरा 16)

**अपील स्वीकृत की जाती है। (पैरा 18)**

**पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश**

पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली  
और

माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार पांडे  
मौखिक न्यायादेश

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

तिथि - 16-01-2025

2018 के आपराधिक अपील (डी. बी.) सं. 1145 में अपीलार्थी की ओर से श्री प्रणव कुमार की सहायता से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वाई. वी. गिरि, 2018 की आपराधिक अपील (डी. बी.) सं. 1119 में अपीलार्थी के वकील कुमारी सुजाता सिन्हा और राज्य के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुजीत कुमार सिंह को, सुना।

2. दोनों अपीलें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के तहत दायर की गई हैं (जिसे इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित किया गया है) दिनांकित 10.08.2018 के दोषसिद्धि के फैसले और दिनांकित 18.08.2018 के सजा के आदेश के खिलाफ, जिसे एफ.टी.सी.-I, नालंदा, बिहारशरीफ के विद्वान पीठासीन अधिकारी, की अदालत ने सत्र परीक्षण सं. 636/2010 में पारित किया गया, जो अस्थावां थाना मामले सं. 31/2010 से उत्पन्न हुआ, जिसके तहत अदालत ने अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दंडनीय अपराधों और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी ठहराया गया और उन्हें जीवन पर्यंत सश्रम कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 20,000/- रु. (बीस हजार रुपये मात्र) का जुर्माना भरने की सजा दी गई और जुर्माना न भरने पर अपीलकर्ताओं को तीन वर्षों की सश्रम कारावास भुगतनी होगी। अपीलकर्ताओं को आगे शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराध के लिए तीन वर्षों की सश्रम कारावास और 5,000/- रु. (पांच हजार रुपये मात्र) का जुर्माना भरने की सजा दी गई और जुर्माना न भरने पर

अपीलकर्ताओं को तीन महीने की सश्रम कारावास भुगतनी होगी। दोनों सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया है।

3. चूंकि दोषसिद्धि और सजा के आदेश के सामान्य निर्णय को चुनौती दी जा रही है, इसलिए पक्षों की ओर से पेश विद्वान वकीलों ने संयुक्त रूप से अनुरोध किया कि इन दोनों अपीलों की एक साथ सुनवाई की जाए और सामान्य निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जाए। इसलिए, हमने अंतिम निपटान के लिए इन दोनों अपीलों को एक साथ लिया है।

4. 2018 के आपराधिक अपील (डी. बी.) सं. 1145 में उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वाई. वी. गिरि ने तर्क दिया है कि पी.डब्ल्यू.-6, रूनी देवी सूचना देने वाली हैं, जिनका फर्दबयान 06.04.2010 को सुबह 7:00 बजे दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से कहा है कि उनके पिता स्वर्गीय रामधारी यादव हैं और उनके जन्म के बाद, उनके पिता के बहनोई, यानी उनके मामा सरयुग यादव ने उन्हें गोद लिया जब वह दो साल की थी क्योंकि सरयुग यादव की कोई संतान नहीं थी। उनकी शादी अली नगर में राम उचित यादव से हुई थी। जब वह 10-12 वर्ष की थी और अविवाहित थी, उस समय उसके पिता के भाई के चार बेटे, अर्थात् रंजय यादव, सुनील यादव, अनिल यादव और रामजतन यादव, उसके पिता सरयुग यादव पर सभी के नाम पर सारी जमीन हस्तांतरित करने के लिए दबाव डालने लगे और वे उनकी देखभाल करेंगे। लेकिन जब उसके पिता ने उनकी बात नहीं सुनी, तो उपरोक्त चार भतीजों ने उसके पिता को पीटा और उसका पैर तोड़ दिया, जिसके लिए भूमि विवाद का मामला भी दायर किया गया, जिसका अदालत ने उसके पिता के पक्ष में फैसला सुनाया। उनके पिता और माता को उपर्युक्त चार भतीजों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी, क्योंकि उन्होंने जमीन उनके नाम स्थानांतरित नहीं की थी। उसके पिता ने सकरावान की सारी संपत्ति बेचने और उसके साथ बसने का फैसला किया। लगभग एक दिन पहले, अरविंद यादव के एक भतीजे ने दूसरी गोतिया से

कुल कृषि भूमि की कीमत 2.5 लाख रुपये तय की थी। जब स्वर्गीय घुतर यादव के चार बेटों को इस बारे में पता चला, तो चारों भाइयों ने उसके पिता को धमकी दी कि अगर वह जमीन बेच देगा, तो वे उसे मार देंगे। उसके पिता डर गए और चले गए और अली नगर में रहने लगे। चार-पाँच दिन पहले, अरविंद यादव ने उसके पिता को अपनी जमीन पंजीकृत करने और पैसे लेने के लिए कहा। इसके बाद उनके पिता सकरावन ग्राम आए और कल रात 1 बजे उनके पिता सरयुग यादव और मां लीला देवी को उनके पिता के उपरोक्त चार भतीजों ने घर में सोते समय गोली मार दी। मुखबिरसुचक का दावा है कि उसके पिता और माँ की हत्या रंजय यादव, सुनील यादव, अनिल यादव और रामजतन यादव ने गोली मारकर की है ताकि उनकी संपत्ति पर कब्जा किया जा सके।

4.1. विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि उपरोक्त फर्दबयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद, जांच अधिकारी ने जांच की और उसके बाद संबंधित मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष इन दोनों अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए विद्वान मजिस्ट्रेट ने इसे संबंधित सत्र न्यायालय को सौंप दिया, जहाँ इसे सत्र परीक्षण सं. 636/2010 के रूप में पंजीकृत किया गया।

4.2. इसके बाद यह तर्क दिया जाता है कि निचली अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष ने 9 गवाहों से पूछताछ की थी और कुछ दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश किए थे। इसके बाद संहिता की धारा 313 के तहत आरोपी का बयान दर्ज किया गया। इसके बाद विद्वत विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा के आदेश का सामान्य निर्णय पारित किया जिसके खिलाफ दोनों दोषियों ने अलग-अलग अपील दायर की है।

4.3. श्री गिरि, विद्वान वरिष्ठ वकील ने दोष सिद्धि के विवादितअक्षेपित फेसले और सजा के आदेश का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष ने

पीडब्लू-6, रूनी देवी को चश्मदीद गवाह के रूप में पेश किया है, हालांकि, अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान से यह कहा जा सकता है कि पीडब्लू-6 एक चश्मदीद गवाह नहीं है और वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं थी। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि प्रश्नगत घटना का कोई अन्य चश्मदीद गवाह नहीं है और इसलिए, अभियोजन पक्ष का मामला पीडब्लू-6 के बयान पर निर्भर करता है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि पी.डब्लू.-8, डॉ. सतीश चंद्र सिन्हा, जिन्होंने मृतक के शव का *पोस्टमार्टम* किया था, ने केवल एक मृतक, अर्थात् लीला देवी का *पोस्टमार्टम* के बारे में कहा है। हालाँकि, उनके बयान में दूसरे मृतक, अर्थात् सरयुग यादव के *पोस्टमार्टम* के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। यह भी तर्क दिया जाता है कि अभियोजन पक्ष दोनों मृतकों की जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत में विफल रहा है। इसी तरह दोनों मृतकों की *पोस्टमार्टम* रिपोर्ट भी रिकॉर्ड में नहीं है। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष भी यह स्थापित करने में विफल रहा है कि सरयुग यादव की मौत एक हत्या थी। श्री गिरि, विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत किया कि कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान में प्रमुख विरोधाभास, सुधार और विसंगतियां हैं। साक्ष्यों से यह बताया गया है कि पीडब्लू-5 और पीडब्लू-9 को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया है और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है।

4.4. विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि पीडब्लू-7, जांच अधिकारी द्वारा दिए गए बयान से यह पता चलता है कि वह लगभग 3 बजे घटना स्थल पर पहुंचे और इसके बाद 04:00 बजे जब्ती सूची तैयार की गई। रिकॉर्ड से यह बताया गया है कि जब्ती सूची पर पीडब्लू-1 और पीडब्लू-4 द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। हालाँकि, यद्यपि उपरोक्त गवाह उपस्थित थे और उन्होंने जब्ती सूची पर हस्ताक्षर किए और उपरोक्त गवाहों द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, उन्हें 05.04.2010 की रात 11:00 बजे और 06.04.2010 की सुबह 02:00 बजे रूनी देवी से घटना के बारे में पता चला, लेकिन उक्त गवाहों ने 03:30 बजे उपस्थित पुलिस अधिकारी को हमलावरों के नाम नहीं बताए। यह आगे प्रस्तुत किया

जाता है कि मुखबिरसुचक के मामले के अनुसार, मृतक लीला देवी मुखबिरसुचक रूनी देवी की मौसी थी और मृतक सरयुग यादव लीला देवी का पति था। हालाँकि, यह सूचना देने वाले सुचक का मामला है कि दोनों मृतक ने उसे गोद ले लिया था जब वह लगभग 2 साल की थी। हालाँकि, सूचना देने वाला अदालत के समक्ष गोद लेने का विलेख पेश प्रस्तुत में विफल रहा है। गोद लेने का विलेख भी उनके द्वारा जाँच अधिकारी के सामने पेश नहीं किया गया था। यह बताया गया है कि सभी आरोपी मृतक सरयुग यादव के भतीजे हैं। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि भूमि विवाद के कारण, अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों को सूचना देने वाले सुचक द्वारा गलत तरीके से फंसाया गया है। विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि अन्यथा भी, अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है और इसलिए, निचली अदालत को इसमें अपीलार्थियों को बरी कर देना चाहिए था। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आग्रह किया कि इन दोनों अपीलों को स्वीकार किया जाए और दोषसिद्धि और सजा के आदेश के विवादितअक्षेपित फैसले को रद्द कर दिया जाए और खारिज कर दिया जाए।

5. कुमारी सुजाता सिन्हा, आपराधिक अपील (डबल बेंच) सं. 1119 वर्ष 2018 में अपीलकर्ता के लिए उपस्थित विद्वान वकील ने अन्य अपील में उपस्थित वरिष्ठ विद्वान वकील श्री वाई. वी. गिरी द्वारा प्रस्तुत तर्कों को अपनाया है।

6. दूसरी ओर, राज्य के अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुजीत कुमार सिंह ने वर्तमान अपीलों का विरोध किया है। उन्होंने मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि सूचक प्रश्नगत घटना का एक चश्मदीद गवाह है और उसने विशेष रूप से घटना के तरीके के बारे में बताया है और वास्तव में उसने लालटेन की रोशनी में आरोपी की पहचान की है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष ने दोनों मृतक की हत्या करने के आरोपी के उद्देश्य को भी साबित कर दिया है और वास्तव में वर्तमान में यह दोहरी हत्या का

मामला है। इसलिए विद्वत अतिरिक्त लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि जब अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है, तो निचली अदालत ने दोषसिद्धि और सजा के आदेश के विवादितअक्षेपित फैसले को पारित करते समय कोई त्रुटियां नहीं की है। इसलिए उन्होंने इन दोनों अपीलों को खारिज करने का आग्रह किया।

7. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों को सुनने और ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को देखने के बाद, यह प्रकट होता है कि पी.डब्लू.-6, रुनी देवी का *फर्दबयान* 06.04.2010 को सुबह 7:00 बजे दर्ज किया गया। यदि उक्त *फर्दबयान* को ध्यान से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि *फर्दबयान* में, सूचना देने वाले सुचक ने कहा है कि उसकी मौसी और मौसा का कोई संतान नहीं था। जब वह लगभग 2 साल की थी तब उन्होंने उसे गोद ले लिया था। उन्होंने मृतक के साथ सरयुग यादव के भतीजे अभियुक्तों के बीच भूमि के संबंध में विवाद के बारे में भी बताया है। उसने यह भी कहा है कि उसने शादी कर ली है और उसका वैवाहिक घर अली नगर में है। उसने जमीन के संबंध में मृतक सरयुग यादव के साथ-साथ आरोपी के बीच हुई बहस और आरोपी द्वारा दी गई धमकियों के बारे में खुलासा किया है। हालांकि, *फर्दबयान* में कोई संदर्भ नहीं है कि जब कथित घटना रात 1:00 बजे घटित हुई, तो वह घटना स्थल पर उपस्थित थीं।

7.1. उपरोक्त *फर्दबयान* को ध्यान में रखते हुए, यदि अदालत के समक्ष सूचनादाता (पीडब्लू-6) द्वारा दिए गए बयान की सावधानीपूर्वक जांच की जाती है, तो उसने पहली बार न्यायालय के समक्ष बयान दिया है कि रात 01:00 बजे के आसपास वह सकरावन में अपने *मायके* के घर पर थी और घटना रात के समय हुई जब सभी आरोपी सरयुग यादव के घर आए और गोली चला दी जिसमें गोली सरयुग यादव के साथ-साथ लीला देवी को भी लगी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। उसने दोनों मृतकों को मारने के आरोपी के

इरादे के बारे में भी बताया है। उसने मुख्य परीक्षण में आगे कहा है कि उसने लालटेन की रोशनी में आरोपी की पहचान की।

7.2. प्रतिपरीक्षण के दौरान, पीडब्लू-6 ने कहा है कि उसकी शादी घटना की तारीख से 8-9 साल पहले हुई थी और उसके बाद वह अपने वैवाहिक घर में रह रही थी जो ग्राम सकरावन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसने आगे कहा है कि उसे सरयुग यादव ने गोद लिया था और उसी के संबंध में दस्तावेज भी तैयार किया गया था। उसने आगे कहा है कि वह घटना स्थल पर मौजूद थी और किसी ने उसे घटना के बारे में सूचित नहीं किया। घटना के दिन सुबह वह सकरावन आई। हालाँकि, घटना की तारीख को उसकी मौसी और मौसा के बीच आरोपी के साथ झगड़ा नहीं हुआ था। उसने आगे कहा कि वह गोलीबारी की आवाज़ सुनकर जागी और उसने अपने मौसा के शरीर से खून बहते हुए पाया। हालाँकि, उसे अपनी मौसी के शरीर पर कोई खून नहीं मिला। उसने आगे कहा कि वह खून नहीं देख सकी क्योंकि वह जल्दबाजी में बाहर निकल गई और उसके बाद वह घटना स्थल से भाग गई। हालांकि, उन्होंने कोई चेतावनी नहीं दी। उन्होंने आगे कहा कि गोलीबारी की आवाज़ सुनकर ग्राम के लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। लेकिन वह उक्त स्थान से भाग गई और वापस नहीं आई। वह सुबह 06:00-07:00 बजे के आसपास अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ लौटीं। इसी बीच, पुलिस घटना स्थल पर आई। उक्त गवाह को विशिष्ट सुझाव दिया गया था कि वह सकरावन ग्राम में मौजूद नहीं थी जो अली नगर से 9-10 किमी दूर है, जहाँ वह रह रही थीं, हालांकि, उन्होंने उक्त सुझाव को अस्वीकार कर दिया।

8. इस स्तर पर, हम पी. डब्ल्यू.-1, रवींद्र प्रसाद यादव द्वारा दिए गए बयान का उल्लेख करना चाहेंगे, जिन्होंने जब्ती सूची पर हस्ताक्षर किए हैं। पीडब्लू-1 ने बयान दिया है कि पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया था और पुलिस ने घटना स्थल से 315 बोर

के पांच खाली कारतुस और पांच छर्रो को जब्त किया जो दोनों मृतकों के शव के पास पड़े थे। उक्त जब्ती सूची पर उनके साथ-साथ एक कृष्ण कुमार यादव ने हस्ताक्षर किए थे।

8.1. प्रतिपरीक्षण के दौरान, पीडब्लू-1 ने कहा है कि वह अली नगर का निवासी है और अली नगर और घटना स्थल के बीच की दूरी 9 किलोमीटर है। उक्त गवाह ने विशेष रूप से स्वीकार किया है कि घटना उसकी उपस्थिति में नहीं हुई थी। उस समय वे अली नगर में थे। वह आगे स्वीकार करता है कि रूनी देवी (मुखबिरसुचक ) ने उसे अभियुक्तों के नामों के बारे में सूचित किया था। उक्त जानकारी रूनी देवी ने उन्हें रात 02:00 बजे दी थी। यह जानकारी रूनी देवी ने टेलीफोन पर दी थी जो विरेंद्र यादव के घर से दी गई थी। उक्त गवाह ने प्रतिपरीक्षण के दौरान आगे स्वीकार किया कि खाट और बिस्तर पर खून गिरा था। वह आगे कहता है कि खून दोनों मृतक के कपड़ों पर पाया गया। उसने आगे स्वीकार किया है कि वह दो घंटे तक घटना स्थल पर रहा और पुलिस अधिकारी ने घटना स्थल पर उससे पूछताछ भी की। उन्होंने आगे कहा है कि इससे पहले पुलिस ने रूनी देवी से भी पूछताछ की थी।

9. पीडब्लू-4, कृष्ण कुमार यादव भी जब्ती सूची के हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक हैं। उक्त गवाह ने यह भी बयान दिया है कि हत्या की घटना 5/6 अप्रैल की रात को हुई थी और इस संबंध में रूनी देवी ने उसे सूचित किया था। अभियुक्त हमेशा मृतक पर जमीन हड़पने के उद्देश्य से दबाव डालता था। *दारोगाजी* ने घटना स्थल से पाँच खाली कारतुस और पाँच पिन जब्त किए। *दारोगाजी* ने जब्ती सूची भी तैयार की और उन्होंने जब्ती सूची पर हस्ताक्षर किए। यह गवाह अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान करने का दावा करता है।

9.1. उक्त गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षण में कहा है कि वह अली नगर में रहता है। रूनी देवी ने उन्हें रात 11:00 बजे टेलीफोन पर हत्या के बारे में सूचित किया था। उक्त गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षण में विशेष रूप से स्वीकार किया कि वह सुबह 04: 00 बजे रवींद्र

यादव, रामूचित यादव, अशोक यादव, अनिल यादव और पार्वती देवी के साथ सकरावन पहुंचा। उसने हत्या को अपनी आंखों से नहीं देखा और जो उसने सुना उसके आधार पर उसने हत्या के बारे में गवाही दी है। दरोगाजी सुबह 02:00 बजे साकरावां पहुंचे थे। दरोगाजी ने उनका बयान सुबह 10:00-11:00 बजे दर्ज किया। रूनी देवी का बयान दरोगाजी द्वारा सबसे पहले सुबह 05:00-06:00 बजे दर्ज किया गया था। उन्होंने रूनी देवी का फर्दबयान पढ़ा था। खाली कारतूस से संबंधित कागज सुबह 11:00 बजे तैयार किया गया था।

10. पीडब्लू-1 और पीडब्लू-4 द्वारा दिए गए बयान से पता चलता है कि दोनों गवाह प्रश्नगत घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं। पीडब्लू-1 का कहना है कि उन्हें घटना और अभियुक्तों के नामों के बारे में तब पता चला जब पीडब्लू-6 (मुखबिरसुचक) ने लगभग सुबह 02:00 टेलीफोन किया। आगे पीडब्लू-4 ने कहा है कि उन्हें घटना और हमलावरों के नामों के बारे में लगभग रात 11:00 बजे पीडब्लू-6, रूनी देवी से पता चला। हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा सामने रखी गई कहानी में बड़े विरोधाभास और विसंगतियां हैं। इस स्तर पर, हमने जब्ती सूची (प्रद.1) को भी देखा है, जिस पर पीडब्लू-1 और पीडब्लू-4 द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। जब्ती सूची से पता चलता है कि इसे सुबह 04:00 बजे तैयार किया गया था।

11. अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य से यह पता चलता है कि पीडब्लू-5, रमादीन यादव और पीडब्लू-9, बृदेश्वरी यादव ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और वे मुकर गए हैं। इसके अलावा, पीडब्लू-2, संजय शर्मा और पीडब्लू-3, विनोद शर्मा भी इस घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं और उनके बयान के अनुसार, उन्होंने दोनों मृतकों की जांच रिपोर्ट मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे। हालाँकि, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि अभियोजन पक्ष दोनों मृतक की जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत प्रस्तुत में विफल रहा है।

12. पीडब्लू-7, विजय कुमार सिंह जाँच अधिकारी हैं जिन्होंने जाँच की है। उक्त गवाह ने कहा है कि 06.07.2010 पर, वह अस्थावां पुलिस स्टेशन में तैनात था। उन्होंने रूनी देवी के *फर्दबयान* को रिकॉर्ड किया था। उक्त *फर्दबयान* पर दो गवाहों, कृष्ण कुमार और सुनील कुमार ने हस्ताक्षर किए हैं। एफ. आई. आर. भारतीय दंड संहिता की धारा 302 /34 के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज की गई थी। उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने घटना स्थल का दौरा किया है और जब्ती सूची तैयार की है। गवाहों, रवींद्र यादव और भूषण कुमार यादव ने उक्त जब्ती सूची पर हस्ताक्षर किए हैं। उक्त गवाह ने आगे कहा कि उसके द्वारा दो स्वतंत्रत गवाहों की उपस्थिति में जाँच रिपोर्ट भी तैयार की गई थी। हालाँकि, उन्होंने कहा है कि उक्त पहलू का उल्लेख केस डायरी में नहीं है। उन्होंने आगे बयान दिया कि वह 06.04.2010 को लगभग सुबह 03:30 बजे घटनास्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने रूनी देवी का *फर्दबयान* लगभग सुबह 08:00 बजे दर्ज किया था। उन्होंने घटना स्थल के पास रहने वाले व्यक्तियों से पूछताछ की। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि उन्होंने घटनास्थल से खून एकत्र नहीं किया और जब्ती सूची में इसका कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने मृतक के कपड़ों के संबंध में जब्ती सूची तैयार नहीं की। उक्त गवाह ने आगे स्वीकार किया कि रूनी देवी ने मृतक द्वारा गोद लेने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था। जाँच अधिकारी ने आगे स्वीकार किया कि कृष्ण कुमार ने अभियुक्तों के नामों का खुलासा नहीं किया।

13. पीडब्लू-8, डॉ. सतीश चंद्र सिन्हा ने बयान दिया है कि 06.04.2010 पर, उन्हें सदर अस्पताल, बिहारशरीफ में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था और उन्होंने स्वर्गीय लीला देवी के शव का *पोस्टमार्टम* किया था। उन्होंने मृतक के व्यक्ति पर निम्नलिखित चोटें पाई थीं:

बाहरी रूप:

(1) चारों अंगों में मौजूद मृतक अकड़न;

- ( 2) उल्टे किनारे के साथ घाव और कार्बन धूल के आकार 2.5" x 3" x हड्डी से घिरा हुआ दाहिनी गाल पर गहरा घाव;
- (3) दाहिने गाल पर नुकीली सीमा के साथ घाव, नुकीली सीमा के साथ पश्च कर्ण क्षेत्र;
- (4) उल्टा मार्जिन के साथ दाएँ गति पार्श्विक क्षेत्र;
- (5) दाहिने कंधे पर जलन और भीड़भाड़ वाला अल्सर।

पूर्व पक्ष:

विच्छेदन पर: घाव मस्तिष्क पदार्थ मस्तिष्क वाहिकाओं के नुकसान के साथ और मेनिन्जेस में जाता है;

वक्ष गुहा- सटीक;

दोनों लटकते-पीले, दिल-बाएँ कक्ष खाली;

पेट की गुहा; सटीक।

पेट के सभी विसरा जैसे यकृत, प्लीहा, गुर्दे अक्षुण्ण और पीला।पेट के रस में 10 ग्राम गैस्ट्रिक रस होता है।

मृत्यु के बाद से बीत चुका समय-6 से 36 घंटे।

मृत्यु का कारण-मेरी राय में सिर की चोट और हथियार की चोटों से

उत्पन्न रक्तस्राव और सदमे के कारण मृत्यु का कारण।

14. अभियोजन पक्ष के गवाहों और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य की पुनः सराहना करने पर से पता चलता है कि अभियोजन पक्ष दोनों मृतक की जांच रिपोर्ट मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पेश प्रस्तुत में विफल रहा है। इसी तरह, दोनों मृतकों की *पोस्टमॉर्टम* रिपोर्ट भी विधिवत प्रदर्शित नहीं की गई है। यह ध्यान देने योग्य है कि पीडब्लू-8 (डॉक्टर) ने केवल मृतक लीला देवी के *पोस्टमॉर्टम* के संबंध में गवाही दी है और मृतक सरयुग यादव के शव पर उक्त गवाह द्वारा किए गए *पोस्टमॉर्टम* के संबंध में कोई संदर्भ नहीं है। इस प्रकार, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि सरयुग यादव की मृत्यु एक हत्या थी।

15. यह अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयान से आगे पता चलेगा कि अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-6 (मुखबिरसुचक) को चश्मदीद गवाह के रूप में पेश किया है और प्रश्नगत घटना का कोई अन्य चश्मदीद गवाह नहीं है। इस स्तर पर यह ध्यान देने योग्य है कि *फर्दबयान* प्रश्नगत रूनी देवी ने यह नहीं कहा है कि उन्होंने इस घटना को देखा है और वह डरने के कारण वहां से भाग गई। उक्त पहलू को उसने अपना बयान देते हुए अदालत के समक्ष बताया है। उसने यह कहते हुए एक नई कहानी सुनाई है कि उसने गोलीबारी की आवाज़ सुनी और इसलिए, वह जागी और अपने मौसा के शरीर से खून बहता हुआ पाया और उसके बाद वह उस जगह ग्राम भाग गई और अपने ससुराल गाँव अली नगर, जो लगभग 9 किमी दूर है, चली गई। उसने आगे विशेष रूप से स्वीकार किया है कि वह सुबह लगभग 07:00-08:00 बजे अपने परिवार के सदस्यों के साथ घटना स्थल, अर्थात् गाँव सकरावन वापस आई और इसके बाद उन्होंने अपना *फर्दबयान* दिया। हमारा विचार है कि पीडब्लू-6 द्वारा दिए गए संस्करण में सुधार हुआ है और उसके बयान में बड़ी विसंगतियां हैं। पीडब्लू-1, पीडब्लू-4 और पीडब्लू-7 द्वारा दिए गए बयान से आगे पता चलेगा कि जांच अधिकारी लगभग 03:30 बजे घटना स्थल पर पहुंचे। जब्ती सूची लगभग 04:00 बजे तैयार की गई,, अर्थात्, एफ. आई. आर. दर्ज करने से पहले। उक्त जब्ती सूची पर पीडब्लू-1 और पीडब्लू-4 द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। पीडब्लू-1 द्वारा दिए गए बयान से आगे यह पता चलता है कि प्रश्नगत गवाह ने स्वीकार किया है कि उसे रूनी देवी से लगभग 02:00 बजे इस घटना के बारे में पता चला जब उसने हमलावरों के नामों का खुलासा किया और उसे टेलीफोन पर सूचित किया जो विरेंद्र यादव के घर से बनाया गया था। इसके अलावा, पीडब्लू-4 ने कहा है कि उसे रूनी देवी से घटना के बारे में पता चला और उसने हमलावरों के नामों का खुलासा किया। यह ध्यान देने योग्य है कि उपरोक्त गवाहों ने स्वीकार किया है कि पुलिस के उक्त स्थान पर आने के बाद वे घटना स्थल पर मौजूद रहे और यह उक्त गवाहों की विशिष्ट स्वीकारोक्ति है कि पुलिस ने

उक्त स्थान पर उनसे पूछताछ की। इसलिए, यह प्रश्न विचार के लिए उठता है कि यदि उक्त गवाह हमलावरों के नामों के बारे में जानते थे, तो जब्ती सूची तैयार करते समय अभियुक्तों के नाम पुलिस को क्यों नहीं बताए गए क्योंकि पुलिस पहले से ही लगभग 03:30 बजे उस स्थान पर मौजूद थी। यह देखना प्रासंगिक है कि रूनी देवी का *फर्दबयान* 07:00 बजे पर दर्ज किया गया था और उसके बयान के अनुसार, वही दर्ज किया गया था जब वह अली नगर ग्राम गाँव सकरावन, यानी घटना स्थल पर लौटी थी। यह बचाव पक्ष का विशिष्ट मामला है कि अपीलकर्ता सरयुग यादव के भतीजे हैं और मुखबिरसुचक लीला देवी की भतीजी है और इसलिए, मृतक की भूमि हड़पने के उद्देश्य से, अपीलकर्ताओं को गलत तरीके से फंसाया गया है। हमारा विचार है कि अपीलार्थियों द्वारा किए गए उपरोक्त बचाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य और विशेष प्रश्नगत पीडब्लू-6 द्वारा दिए गए बयान से यह कहा जा सकता है कि हालांकि पीडब्लू-6 एक चश्मदीद गवाह नहीं है, लेकिन उसे घटना की चश्मदीद गवाह के रूप में पेश किया गया था और प्राथमिकी दर्ज करने में समय सूचना देने वाले सुचक द्वारा अपीलकर्ताओं को गलत तरीके से फंसाने के उद्देश्य से लिया गया था।

16. इस स्तर पर यह भी देखने की आवश्यकता है कि पीडब्लू-8 ने मृतक मृतक लीला देवी को लगी चोट के बारे में गवाही दी है। हालांकि, उक्त गवाह के बयान में दूसरे मृतक, अर्थात् सरयुग यादव के *पोस्टमार्टम* के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। यह ध्यान देने योग्य है कि अभियोजन पक्ष एक अन्य मृतक सरयुग यादव की मृत्यु का कारण साबित करने में विफल रहा है क्योंकि मृतक सरयुग यादव की मृत्यु के संबंध में अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में कोई सबूत नहीं है। दोनों मृतकों की जांच रिपोर्ट मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट भी रिकॉर्ड में नहीं है और न ही अभियोजन पक्ष द्वारा मृतक की *पोस्टमार्टम* रिपोर्ट पेश की गई है।

17. इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में उपरोक्त साक्ष्य को देखते हुए, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है और इसलिए, इसमें अपीलार्थियों को संदेह का लाभ दिए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, हमारा विचार है कि निचली अदालत ने अपीलार्थियों के खिलाफ दोषसिद्धि और सजा के आदेश का विवादितअक्षेपित निर्णय पारित करते समय एक त्रुटियां की है। इसलिए, इसे रद्द करने और अलगदरकिनार रखनेकरने की आवश्यकता है।

18. तदनुसार, ये दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं। 10.08.2018 को दोष सिद्धि का विवादितअक्षेपित सामान्य निर्णय दिनांक 10.08.2018 और 18.08.2018 को सजा का आदेश, एफ.टी.सी. सं.-1, नालंदा, बिहारशरीफ के पीठासीन अधिकारी द्वारा सत्र परीक्षण सं. 636/2010 में पारित, जो अस्थावां पी.एस. केस सं. 31/2010 से उत्पन्न हुआ है, को निरस्त और खारिज रद्द किया जाता है। अस्थावां थाना केस सं. 31/2010 से उत्पन्न सत्र परीक्षण सं. 636/2010 को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। अपीलार्थियों को विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर किया जाता है।

18.1. चूंकि दोनों अपीलार्थी जेल में हैं, इसलिए यदि किसी अन्य मामले में उनकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है तो उन्हें तुरंत जेल हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

( श्री विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति )

( श्री आलोक कुमार पांडे, न्यायमूर्ति )

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।